

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D- 75 / 2016 श्री शिवसिंह **बनाम** सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-07-2018	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में सुनी गई बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रकरण में यह स्थिति सुस्पष्ट है कि अपीलान्त वादीगण धारा-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत चरागाह भूमि पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 द्वारा दखलन्दाजी नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा चाहते हैं।</p> <p>यह भी स्पष्ट है कि धारा-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सिर्फ खातेदार ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। तदनुसार वादी अपीलान्त के खातेदार नहीं होने तथा चरागाह राजकीय भूमि होकर ग्राम पंचायत के संरक्षण में रहती है। वादी अपीलान्त को उक्त वाद लाने की विधिक अधिकारिता नहीं होने के कारण वादी का वाद विधिक आधारों पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।</p> <p>अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 3-6-2016 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।</p> <p>पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p align="center">(एल.एन. मंत्री) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</p>	

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन र01.अ.अ.

.....मुकामउदयपुर व इजलास एल.एन.

मंत्री आर.ए.एस.

1-श्री शिवसिंह तिा श्री किशनसिंह बनाम 1- राजस्थान

राज्य जरिये जिला

जी राजपूत निवासी पीपड

कलक्टर

उदयपुर

तहसील बड़गांव जिला

व अन्य

उदयपुर (राज.) अन्य-5

अपील नं0 75 / 2016 बनाराजगी डिगरी अदालत.....

उपखण्ड अधिकारीफास्टट्रे गिर्वा मुकाम

मुखर्खे.....03.....माह.....06.....2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख23.....माह07.....सन्

2018 रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी.....श्री सुनील

शर्मा मिनजानिबश्री पंकज भटनागर.....

..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म

हुआ कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की

जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री

दिनांक 3-6-2016 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग

...X... रूपये..... Xअदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का

..... X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख23.....

माह ...07..... 2018 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व

अपील अधिकारी

उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील स्टाम्प वकालत नामा....					

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D- 75/2016 श्री शिवसिंह **बनाम** सरकार व अन्य

	<p>2. इजराय हुक्मनामा</p> <p>..</p> <p>3. वकील फीस बाबत</p> <p>मीजान</p>	
<p>नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।</p>		

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Ud-D- 75/2016 श्री शिवसिंह **बनाम** सरकार व अन्य

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Ud-D- 75/2016 श्री शिवसिंह बनाम सरकार व अन्य

--	--	--

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
 उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गणेश लाल नागदा पिता
 श्री कालूलाल नादा निवासी
 पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल
 के पास शोभागपुरा स्कूल के सामने
 तहसील गिर्वि जिला उदयपुर

बनाम श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल
 कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा
 उदयपुर (राज0)
 अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत सहायक कलक्टर मु0.....
 उदयपुर मुकाम मुखर्षे.....27..... माह02..... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 15..... माह06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व
 हाजरीश्री सत्य प्रकाश व्यास मिनजानिब अपीलान्त वश्री संजय बोहरा
 रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्त दूषित
 (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक
 27-2-1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिगX.... रूपये..... Xअदा
 करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को
 जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
4. स्टाम्प अपील					
5. स्टाम्प वकालत नामा.....					
6. इजराय हुक्मनामा					
7. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
 दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Ud-D- 75/2016 श्री शिवसिंह बनाम सरकार व अन्य

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
 उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गांगा पिता देवा डांगी
 निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
 जिला उदयपुर (राज0)
 अन्य -2

बनाम श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
 निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
 जिला उदयपुर (राज0)
 अन्य-6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालतभू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारीउदयपुर मुकाम मुखर्वे.....08.....
 माह07..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 25..... माह05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व
 हाजरीश्री मन्नाराम डांगी मिनजानिब अपीलान्त वश्री
 रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि प्रकरण में
 वकील अपीलान्त द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा-152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन
 किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण
 संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8-7-2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.
 800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर
 आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिगX.... रुपये..... Xअदा
 करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को
 जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
8. स्टाम्प अपील					
9. स्टाम्प वकालत नामा.....					
10. इजराय हुक्मनामा					
11. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
 दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Ud-D- 75/2016 श्री शिवसिंह बनाम सरकार व अन्य
